

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 585]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2018/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	सृजित नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजनांदगांव	छुईखदान	गण्डई	राजस्व निरीक्षक मण्डल साल्हेवारा के पटवारी हल्का न. 09 के कुल 07 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल चकनार के पटवारी हल्का न. 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 के कुल 26 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल गंडई के पटवारी हल्का न. 17, 18 एवं 19 के कुल 07 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल पेण्डरपानी के पटवारी हल्का न. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 के कुल 38 ग्राम। अतः 19 पटवारी हल्के के कुल 78 ग्राम नवीन तहसील गंडई में शामिल होंगे।	उत्तर— तहसील सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम। दक्षिण— तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव। पूर्व— तहसील साजा, जिला बेमेतरा। पश्चिम—तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी.दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2020

NOTIFICATION

No. F 11-13/2018/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government alters the limits of Tehsil specified in column (3), create a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tahsil	Create New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rajnandgoan	Chhuikhadan	Gandai	Total 07 villages of Patwari Halka No. 09 of Revenue Inspectore Mandal Salhewara. Total 26 villages of Patwari Halka No. 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of Revenue Inspectore Mandal Chaknar. Total 07 villages of Patwari Halka No. 17, 18 and 19 of Revenue Inspectore Mandal Gandai. Total 38 villages of Patwari Halka No. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of Revenue Inspectore Mandal Pendarpani. Hence, 78 villages of total 19 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Gandai".	North - Tehsil Sahaspur Lohara of Kabirdham District. South - Tehsil Chhuikhadan of Rajnandgaon District. East - Tehsil Saja of Bemetara District. West - Tehsil Chhuikhadan of Rajnandgaon District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.